

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) वी के तहत

अनुमति वाद संख्या आर० एम०-19/2023-24

उपेन्द्र नाथ महतो वगैरह बनाम् नकुल चन्द्र महतो

तारीख 1	आदेश 2	3
------------	-----------	---

28.07.2023

विक्रेता का नाम एवं पता- उपेन्द्र नाथ महतो वो निपेन कुमार महतो पिता-स्व० बनमाली महतो निवास ग्राम-डिवाडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो) पेशा- खेती।

क्रेता का नाम एवं पता:- नकुल चन्द्र महतो, पिता-स्व० शशिभूषण महतो निवास ग्राम- चरकुडीह पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो), पेशा-खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री मनव्रत मुखर्जी

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03/05/2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) वी के तहत क्रेता नकुल चन्द्र महतो, पिता-स्व० शशिभूषण महतो निवास ग्राम- चरकुडीह पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो), पेशा-खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री/दान/वसियत हेतु अनुमति माँगी है:-

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-डिवाडीह, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-31 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
26	131	08 डीसमील	उ०-सुरेन्द्र नाथ महतो द०-उपेन्द्र नाथ महतो पू०-रोड प०- बसंत महतो वगैरह

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक-249 (11) दिनांक 05/06/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी में धनीराम महतो वो धन सिंह महतो वगैरह दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी- 11 रैयत से आवेदक का परपोता का संबंध है।
3. पंजी- 11 के अनुसार रैयत का नाम अघनू महतो वगैरह दर्ज है।
4. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
5. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
6. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी ईलाज हेतु बिक्री कर रहे है।
7. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।

4.07.2022

8. विक्रेता एवं क्रेता कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों एक ही जिला-राँची के निवासी है।
9. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
10. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
11. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
12. प्रस्तावित विक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) वी के तहत विक्रेता उपेन्द्र नाथ महतो वो निपेन कुमार महतो पिता-स्व० बनमाली महतो निवास ग्राम-डिवाडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो) पेशा- खेती को क्रेता नकुल चन्द्र महतो, पिता-स्व० शशिभूषण महतो निवास ग्राम- चरकुडीह पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो), पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री/दान/वसियत करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 03/05/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन को विक्रेता उपेन्द्र नाथ महतो वो निपेन कुमार महतो पिता-स्व० बनमाली महतो निवास ग्राम-डिवाडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो) पेशा- खेती को क्रेता नकुल चन्द्र महतो, पिता-स्व० शशिभूषण महतो निवास ग्राम- चरकुडीह पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी (महतो), पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) वी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री/दान/वसियत सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-डिवाडीह, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-31 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी
26	131	08 डीसमील	उ०-सुरेन्द्र नाथ महतो द०-उपेन्द्र नाथ महतो पू०-रोड प०- बसंत महतो वगैरह

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार समिति
बुण्डू।

भूमि सुधार समिति
बुण्डू (राँची)